


4/12/19

पंजाबली पंच दंडे) वकील उषा/ दामोदर
 व दस हनुनी गयी। वकील कादी उषा/ दामोदर
 ने मध्यम किदा किपा कि मुक्ति खण
 2224, 2506 किता-2 वरखा 3-13 हं
 उषा/ दामोदर अउषा/ दामोदर 2 ता 4 की खाते
 भूमि है उक्त भूमि से उषा/ दामोदर
 सख 2 से 4 के मध्यम पितर सोहन लाल
 का नाम सुगगराम गलत दर्ज है वास्तविक
 नाम सोहन लाल है जो उक्त किदा जहाँ
 एतने उक्त वकील उषा/ दामोदर
 पंजाबली व पंजाबली पर उपलब्ध
 इस्तावेदात का सफलतेन किदा गया।
 उषा/ दामोदर के राशन कार्ड, आयकर कार्ड, आधार
 कार्ड, वॉट्स एप नंबर, प्रमाण पत्र उपलब्ध
 अधिकारी नीमकावागा मूल्य प्रमाण पत्र 30/11/19
 व उक्त पंचायत चौकड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
 से उषा/ दामोदर के पितर का नाम सही सोहन
 लाल होगा दर्ज है अतः उषा/ दामोदर के मध्यम
 वरखित होने से उषा/ दामोदर पत्र 136 L/2019
 रकीकार किदा जाकर आदेश किदा जाता
 है कि :- आदेश
 भूमि खण नं० 2224, 2506 किता-2

बस्वा 3-13 ई० तक ग्राम ~~को~~
 तहसील खण्डेला जिला सीकर के
 वापस सिविल के प्राणी, उग्रणी स
 2 ता 4 तथा मुतक इन्वारी लाल के पित
 का नाम शुभागराज के स्थान पर सोदा
 लाल दुरुस्त किया जावे। पालना देह
 तहसीलदार खण्डेला को बखरी (गारी
 है। पालनी फेंडाम शुभाज होमे
 गारु है कम है जोड तहसील
 दाखिल पन्ना है।


 (खण्डेला)
 AAS
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)

